

दुकान अंक
वाणिज्य आड़िकानों
श्रम एवं सेवायेजन विभाग
मैनपेजन

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायेजन विभाग
संख्या: /VIII/13-228(श्रम)/2001
देहरादून, दिनांक: 06 मार्च, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की उपधारा (1) के खण्ड (i) के स्नाथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इन सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या: 207(2)/VIII/228-श्रम टीफ़ॉ-1/2001, दिनांक 10 मई 2005 को अधिकारित करते हुए, अधिसूचना संख्या: 887/VIII/12-228 (श्रम)/2001, दिनांक 06 अगस्त 2002 द्वारा प्रकाशित प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर राज्य सलाहकार बोर्ड ने परामर्श करने वाले पश्चात सम्यक विचारोपरान्त, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तारीख से उत्तराखण्ड में 'वाणिज्यिक अधिकारों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत नियांसित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 203 अंक पर निम्नवत होगी:—

ब्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	एक लाख या उससे आधिक आवादी वाले उत्तराखण्ड के नगरों में वयस्क कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें।	उत्तराखण्ड के शेष मार्गों में देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें।
1	2	रूपये प्रतिमाह	रूपये प्रतिमाह
१	अकुशल	5075	4980
२	अद्यकुशल	5555	5445
३	कुशल	6035	5915
४	तिथिक वर्गीय कर्मचारी (क) श्रेणी-एक (ख) श्रेणी- दो	6845 6240	6690 6110

टिप्पणी— कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

२. परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:—

अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) ले अंक 203 के ऊपर उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ले 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसंबर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक वे उपमोक्ता मूल्य सूचकांक के आसूत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

३. मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के उपरोक्त से कम न होगी।

घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।



192
12-3-13

5. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घटे (विश्राम अन्तराल को समिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घटेवार मजदूरी की दर तब्दील करने के छठे भाग से कम न होगी।
6. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकाट से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिबद्धता प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरे उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हो तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कठीनी नहीं की जायेगी।
7. जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित व्यालडानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
8. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुच्छाट विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी समिलित है।
9. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैसा 1 और पैसा 2 में अनुमत्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
10. किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के व्यवस्था कर्मचारी पर प्रयोग्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल

पब्लिक, एव्हर, ब्लॉकलर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, चपरासी, मजदूर, चौकीदार, सफ्टाई मजदूर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अद्यकुशल

गोडाउन कीप, वैमैन, मिस्ट्री, साइकिल भरभरत करने वाला, सोने और धारी के जेवरों की छिलाई करने वाला, चांदी पकाने वाला, रेजिदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। इस श्रेणी में ऐसे कुशलता प्राप्त कर्मचारी भी सम्भिलित हैं जिन्हें किसी अद्यकुशल कर्मचारी के आर्गार्डर्शन में हेल्पर या असिस्टेंट के रूप में कम से कम 5 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त कर लिया है।

3. कुशल

ड्राईवर, मशीनौन, बढ़ी, फिटर, वेल्डर, पेन्टर, इलेक्ट्रिशियन, सोने और चांदी के जेवरों पर नक्काशी करने वाला, सुपरवाईजर, केमिस्ट, भैकेनिक, आपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। इस श्रेणी में ऐसे अद्यकुशल कर्मचारी भी सम्भिलित हैं जिन्हें किसी कुशल कर्मचारी के पर्यावरण और मार्ग दर्शन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया गया है।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी

(क) लिपिक श्रेणी—तो, न्यूनतम शैक्षिक अहता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पांच वर्ष न हुए हो।

मुनीम, लेखाकार, रोकड़िया, टंकक, लिपिक, विक्रीकर्ता, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, उगाही, लगादगीर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी—एक, न्यूनतम शैक्षिक अहता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने वाला पांच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

1
2
3
4
5
6
7
या
की द

कालानुपाती

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिच
आशुलिपिक, विक्री प्रतिष्ठिति, कम्प्यूटर ऑपरेटर और इन्स्ट्री प्रकार का कार्य करने वाला को
उसे किसी भी नाम से शुकारा जाये।

संख्या:- 352 (1)/V.III/13-228(अम)/2001, तददिनैकित ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- ✓ 1. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्दानी ।
- 2. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड
- 3. समस्त अपर/उप सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
- 4. उष्ण निदेशक, राजनकीय मुद्रणालय, रुडकी (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषि
अधिसूचना को असाध प्रण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियो शासन को उपलब्ध
- 5. गार्ड फाईल ।